



18

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 17 विदिशा

53

R 1138-I-17

श्री भाग्यशंकर शर्मा, कोषी
द्वारा आज दि. 12-4-17 को
स्तुत

[Signature]
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सोनू शर्मा पुत्र श्री चन्द्रमोहन शर्मा
उम्र 35 साल , धान्धा चौकीदारो ,
निवासी ग्राम देवीटोरी , तहसील सिरोन
जिला विदिशा म.प्र. --- आवेदक

खाम

भागचन्द्र पुत्र गरीब दास , आयु 53 साल ,
धान्धा छोती , निवासी ग्राम देवीटोरी
तहसील सिरोन जिला विदिशा म.प्र.

--- अनवेदक

भाग्यशंकर शर्मा
12-4-17



निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. स. के 1957 विच्छेद आदेश
दिनांक 02.02.2015 व आदेश दिनांक 05.03.2015 द्वारा पारित
न्यायालय तहसील दार सिरोन जिला विदिशा प. क्र. 1 अ/56/14-15
भागचन्द्र विच्छेद सोनू शर्मा के निष्पत्ति से दुखी होकर ।

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ



प्रकरण क्रमांक निगरानी-1138/एक/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2015 एवं 05.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.09.2018 से भू-राजस्व संहिता संशोधन 2018 प्रभावशील हो जाने से अब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुनरीक्षण का निराकरण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित धारा 50 सहपठित धारा 54(a) के तहत यह प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है।</p> <p>उभय पक्ष सूचित हो।</p> <p> A.D.C.</p>	<p> अध्यक्ष</p>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1138/एक/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.03.2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण जिला विदिशा से संबंधित है, अतः म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप सुनवाई हेतु कलेक्टर, विदिशा को अंतरित किया जाना था, किंतु लिपिकीय त्रुटिवश कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाना टाईप हो गया है। अतः उपरोक्त त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि होने से सुधार करते हुए कलेक्टर, धार को अंतरित किया जाता है, के स्थान पर कलेक्टर, विदिशा को अंतरित किया जाता है, पढ़ा जाये। यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी।</p> <p> नीर</p>	<p> अध्यक्ष</p>